[भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10 /2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 2019

सा. का. नि.......(अ.).- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv), खंड (v) और खंड (xxvii) के तहत शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा. का. नि. 702(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, मद (ie) और (if) में, कॉलम (5) के प्रविष्ट में जहां-जहां भी अंक और अक्षर ‘’10’’ आए हों वहां-वहां उनके स्थान पर अंक और अक्षर ‘’20’’ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुबंध IV में, अंक और अक्षर ‘’10’’ के स्थान पर अंक और अक्षर ‘’20’’ प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा.सं.354/32/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 3/2019, संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), सा.का.नि. 262 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।